

भाग-III

हरियाणा सरकार

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम सितम्बर, 2010

संख्या का०आ० 92/के०अ० 61/1985/धा० 71 तथा 78/2010.—स्वापक औषधि और मनः

प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61) की धारा 78 तथा धारा 71 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना, निर्धारण, अनुरक्षण, प्रबन्धन अधीक्षण, ऐसे केन्द्रों में नियोजित कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां तथा कर्तव्य तथा नशे के आदियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, अनुरक्षण, पुनर्वास, सामाजिक पुनः एकीकरण तथा नशे के आदियों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ की आपूर्ति के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा नशामुक्ति केन्द्र नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषायें।

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61) ;

(ख) “केन्द्र” से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित नशामुक्ति तथा पुनर्वास केन्द्र ;

(ग) “प्ररूप” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ङ) “संगठन” में शामिल है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI), के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी, कंपनी अधिनियम, 1958 (1958 का 1), के अधीन रजिस्टर्ड धर्मार्थ सोसाइटी, न्यास, निगमित कंपनी, राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा पूर्णतया निधिबद्ध, प्रबन्धित या अनुमोदित संस्था शामिल है ;

(च) “राज्य स्तरीय समिति” से अभिप्राय है, नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समिति ;

(छ) “अनुज्ञापन प्राधिकरण” से अभिप्राय है, नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन गठित अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रिंग प्राधिकरण ;

(झ) "जिला स्तरीय समिति" से अभिप्राय है, नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61) में दिया गया है।

राज्य स्तरीय समिति  
का गठन।

3. (1) राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :-

- |  |                  |
|--|------------------|
| (i) प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा  | सरकारी सदस्य     |
| (ii) प्रशासकीय सचिव, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता   | सरकारी सदस्य     |
| (iii) प्रशासकीय सचिव, तकनीकी शिक्षा  | सरकारी सदस्य     |
| (iv) प्रशासकीय सचिव, उच्चतर शिक्षा   | सरकारी सदस्य     |
| (v) प्रशासकीय सचिव, विद्यालय शिक्षा  | सरकारी सदस्य     |
| (vi) निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग   | सरकारी सदस्य     |
| (vii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं  | सदस्य सचिव       |
| (viii) सचिव, हरियाणा राज्य बाल कल्याण काउंसिलिंग   | सरकारी सदस्य     |
| (ix) सचिव, हरियाणा रैडक्रास सोसाइटी  | सरकारी सदस्य     |
| (x) अध्यक्ष, मनोविकृति विज्ञान विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल साइंसिज, रोहतक  | सरकारी सदस्य     |
| (xi) अध्यक्ष, मनोविकृति विज्ञान विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़  | सरकारी सदस्य     |
| (xii) अध्यक्ष, मनोविकृति विज्ञान गवर्नमेंट मैडीकल कालेज एण्ड होस्पिटल, सेक्टर 32, चण्डीगढ़   | सरकारी सदस्य     |
| (xiii) निदेशक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्था, रोहतक  | सरकारी सदस्य     |
| (xiv) दो विख्यात वकील  | गैर सरकारी सदस्य |
| (xv) राज्य के इस क्षेत्र में कार्यरत वर्तमान गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि  | गैर सरकारी सदस्य |
| (xvi) समिति, बैठक के लिये किसी अतिरिक्त सदस्य को चुन सकती है, जो समिति को विशेषज्ञ सलाह देने के लिये नशामुक्ति के क्षेत्र में विशेष योग्यता तथा अनुभव रखता हो। |                  |

(2) वरिष्ठतम सचिव अध्यक्ष होगा।

(3) राज्य स्तरीय समिति का कार्य तथा दायित्व निम्न अनुसार होंगे,—

(i) नशे को आदियों के उपचार तथा उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में पर्यवेक्षी, पालिसी बनाने तथा सुसाध्य निकाय के रूप में कार्य करने ;

(ii) केन्द्रों के प्रचालन के लिये अनुज्ञप्ति देने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकरण के लिये मार्गदर्शिका बनाने ;

(iii) भारत सरकार या किसी वैधानिक निकाय या इस समिति द्वारा यथा अधिकथित केन्द्रों में देखरेख के न्यूनतम मानकों का प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित करने ;

(iv) केन्द्रों तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सहयोगी उपचार नेटवर्क की स्थापना के लिये सहायता तथा मार्गदर्शन करने ;

(v) केन्द्रों में परिनियोजित कार्मिक के लिये सुकर प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करने ;

(vi) नशे के आदियों के कल्याण तथा पुनर्वास को उन्नत करने के लिये किसी अन्य गतिविधि का उत्तरदायित्व लेने ;

(vii) अनुज्ञापन प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील का निर्णय करने।

4. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य हो जायेगा या यदि अयोग्यता। वह पहले ही नियुक्ति है, तो सरकार द्वारा हटा दिया जायेगा, यदि वह,—

(i) किसी अपराध के लिये सिद्धदोष तथा कारावास से दण्डादेशित हो गया है जो सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला है ; या

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(iii) विकृतचित्त या सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित विकृतचित्त का है; या

(iv) सरकार या सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित निगमित निकाय से हटाया या पदच्युत किया गया है।

5. (1) प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य उसकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा तथा पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होगा। गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि।

(2) गैर-सरकारी सदस्य अध्यक्ष को त्याग-पत्र का पत्र भेजते हुये प्राधिकरण/राज्य स्तरीय समिति की सदस्यता से किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है तथा ऐसा त्याग-पत्र ऐसी तिथि जिसको वह स्वीकृत किया जाता है, से प्रभावी होगा।

(3) जहां कोई रिक्ति किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्याग-पत्र या अन्यथा से रिक्त होती है, तो सरकार उन्हीं व्यक्तियों में से नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगी तथा इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिये पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्ति किया गया है।

(4) जहां किसी गैर-सरकारी सदस्य की पदावधि समाप्त होने को है, तो सरकार ऐसे सदस्य की पदावधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के लिये उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकती है किन्तु उत्तराधिकारी केवल सदस्य की पदावधि की समाप्ति के बाद पद धारण करेगा।

अनुज्ञापन प्राधिकरण।

6. (1) राज्य स्तरीय अनुज्ञापन प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;

(ii) निदेशक, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकरण के कृत्य नीचे दिये अनुसार होंगे :—

(i) किसी संगठन द्वारा स्थापित केन्द्रों के प्रचालन के लिये अनंतिम अनुज्ञप्ति, नियमित अनुज्ञप्ति जारी करना तथा अनुज्ञप्ति नवीकृत करना तथा पहले से चल रहे केन्द्र को रजिस्टर करना ;

(ii) केन्द्रों के विरुद्ध शिकायतें जो संदिग्ध/आरोपित अननुज्ञप्त केन्द्रों के विरुद्ध भी हो, की जांच पड़ताल करना ;

(iii) हरियाणा राज्य में विभिन्न केन्द्रों के कृत्यों को मानीटर करना, पर्यवेक्षण करना तथा मूल्यांकन करना ;

(iv) राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर जारी भारत सरकार के मार्ग-दर्शन या किसी कानूनी निकाय या मार्गदर्शनों पर आधारित केन्द्र में देखरेख के लिये न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना ;

(v) केन्द्रों की स्थापना तथा कृत्यों के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शनों को कार्यान्वित तथा मानीटर करना ;

(vi) केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण करना तथा किसी उल्लंघन के मामले में अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण सहित दाण्डिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करना ;

(vii) कर्तव्यों के निर्वहन के लिये तथा उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये तथा नियमों तथा अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये अपनी प्रक्रिया प्रकल्पित करना ;

(viii) राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में अभिलेख रखना।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकरण निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात् :—

(i) प्ररूप 1 में आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकरण आवेदक के बारे में ऐसी जांच करवा सकता है जो यह सुनिश्चित करने के लिये ठीक समझे कि आवेदक केन्द्र को चलाने के लिये इन नियमों के अधीन विहित न्यूनतम मानक का पालन करने में समर्थ है ;

(ii) इन नियमों में विहित न्यूनतम मानक के अनुसार संचालित उपयुक्त जांच करने के बाद तथा केन्द्र स्थापित करने के लिये आवेदक की समर्थताओं के बारे में स्वयं की संतुष्टि होने के बाद अनुज्ञापन प्राधिकरण आवेदक को अनंतिम अनुज्ञप्ति जारी करेगा ;

(iii) अनंतिम अनुज्ञप्ति जारी करने के बाद, आवेदक विहित न्यूनतम मानकों का पालन करेगा तथा ऐसी अन्य शर्तें जो अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा विहित की गई हों, तथा निवेदन करने पर अनुज्ञापन प्राधिकरण मास की अवधि के भीतर नियमित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमित अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह केन्द्र के प्रचालन को रोक देगा। केन्द्र केवल अनुज्ञप्ति जारी होने के बाद ही हरियाणा राज्य में चलाया जायेगा ;

(iv) अनंतिम अनुज्ञप्ति को नियमित अनुज्ञप्ति में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरण आवेदक द्वारा अनंतिम अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों के सम्यक् अनुपालन के बारे में अपनी संतुष्टि करेगा, प्रयोजन जिसके लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षित किए जाने के लिये केन्द्र बनाता है ;

(v) अनुज्ञप्ति जब तक अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों की अनुपालना तथा इन नियमों के अधीन विहित न्यूनतम मानकों की अपालना करने के लिए निलम्बित प्रतिसंहृत या रद्द नहीं किया जाता जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ;

(vi) केन्द्र स्थापित करने के लिये आवेदन की फीस नई अनुज्ञप्ति के लिये 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) तथा अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये 5,000/- रुपये (केवल पांच हजार रुपये) होगी। अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन प्ररूप-II में किया जायेगा ;

(vii) हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित केन्द्र को अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान से छूट होगी।

- (viii) मनोविकृति नर्सिंग होमस/हस्पताल जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) तथा केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम, 1990 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक है तथा जो नशे के आदियों को उपचार दे रहा है तथा देखभाल कर रहा है को अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने से छूट होगी। वे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) के उपबंधों के अधीन शासित होंगे। तथापि, वे अनुज्ञापन प्राधिकरण को प्ररूप 1 में पंजीकरण के लिये आवेदन करेंगे तथा विहित प्रोफार्मा अर्थात् राज्य में नशामुक्ति पर डाटा के समेकन के प्रयोजन के लिये यथा निर्देशित अनुज्ञापन प्राधिकरण को मादक द्रव्य दुरुपयोग मानीटरिंग प्रणाली (डी ए एम एस) में नशामुक्ति मामलों पर डाटा प्रस्तुत करेंगे ;
- (ix) सभी विद्यमान केन्द्र प्ररूप I में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छह मास के भीतर अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करेंगे ;
- (x) प्ररूप I में नियमित अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकरण आवेदक को अनंतिम अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुपालना संबंधी रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर जारी करेगा।
- अपील। 7. आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध जिला स्तरीय समिति के सम्मुख अपील कर सकता है। यदि प्ररूप III में उसको अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया जाता है।
- जिला स्तरीय समिति। 8. (1) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
- |   |            |
|---|------------|
| (i) उपायुक्त या उसका नामनिर्देशित जो अतिरिक्त     | अध्यक्ष    |
| उपायुक्त की पदवी से नीचे का न हो                  |            |
| (ii) जिले का सिविल सर्जन                          | सदस्य सचिव |
| (iii) जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी०एस०डब्ल्यू०ओ०) | सदस्य      |
- (2) जिला स्तरीय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—
- (i) राज्य स्तरीय समिति या अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जिले में केन्द्रों के कृत्यों तथा बनाए गए मार्गदर्शनों का समय-समय पर मानीटर, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना ;
- (ii) सुनिश्चित करना कि प्रत्येक केन्द्र की अनुज्ञप्ति वैध है ;
- (iii) राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर विहित प्ररूप में अभिलेख रखना।
- न्यूनतम मानक। 9. (1) केन्द्र निम्नलिखित न्यूनतम मानक के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

(क) भौतिक मानक :—

- (i) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद केन्द्र अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर प्रचालन प्रारम्भ करेगा तथा इसके प्रचालन के प्रारम्भ के बारे अनुज्ञापन प्राधिकरण को सूचित करेगा ;
- (ii) अनुज्ञापन प्राधिकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले ऐसे नए केन्द्र का निरीक्षण करेगा ;
- (iii) केन्द्र में बिस्तरों की अपेक्षित संख्या (प्रत्येक रोगी के लिए एक) होगी। उपयुक्त आवास तथा बिस्तरों के बीच उचित अन्तर रखा जायेगा ;
- (iv) केन्द्र पर्याप्त हवादार होंगे तथा किसी भी प्रकार के प्रदूषण जो दाखिल रोगियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो, से मुक्त होंगे ;
- (v) केन्द्र में पेय/पीने का पानी तथा धोने, नहाने तथा सफाई प्रयोजनों के लिये चलता पानी होगा ;
- (vi) केन्द्र में सफाई के लिए उचित स्वच्छता सुविधाएं होंगी तथा स्नानगृहों, शौचालयों तथा सिंकों (होजों) की पर्याप्त संख्या होगी ;
- (vii) केन्द्र में रोगियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिये साफ लीनेन बिस्तर, बर्तन तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध होंगी ;
- (viii) केन्द्र में दाखिल रोगियों को ताजा, पोषण आहार तथा पर्याप्त खाना उपलब्ध होगा ;
- (ix) केन्द्र में रोगियों के लिए पर्याप्त मनोरंजनात्मक सुविधाएं होंगी;
- (x) प्रत्येक केन्द्र में निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, अर्थात् :—
  - (क) स्वागत, पूछताछ/पंजीकरण काउंटर/प्रतीक्षा कक्ष में कम से कम पांच व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था ;
  - (ख) व्यक्तिगत काउंसलिंग, ग्रुप रोगोपचार तथा पारिवारिक काउंसलिंग के लिये कक्ष/कमरा उपलब्ध करवाना ;
  - (ग) विश्वस्तता तथा सहज सुधार की प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिये रोगियों के अभिलेखों के स्टोर के लिए स्थान ;
  - (घ) शैक्षणिक संबंधित सामग्री जैसे पोस्टर केन्द्रों में अनुकूल स्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे ;
  - (ङ) देशी भाषा में पेमफ्लेट, हस्त बिल तथा अन्य शैक्षणिक सामग्रियां जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।

## (ख) चिकित्सा मानक :—

- (i) किसी भी रोगी को नशामुक्ति के लिए उपचाराधीन हेतु रोगोपचार तथा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप तथा अपनी सहमति के प्रतिस्थापन/रख-रखाव सहित उसको उपलब्ध उपचार विकल्पों के स्तर को स्पष्ट किए बिना निर्विपीकरण उपचार करवाने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा ;
- (ii) केन्द्रों की उपचार विज्ञप्ति चिकित्सा व्यवसाय तथा समय-समय पर क्षति को कम करने की समर्थित प्रथा सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०), भारत सरकार तथा भारतीय मनोविकृति सोसाइटी (आई०पी०एस०) द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शनों पर आधारित व्यवस्था तथा साक्ष्य अपनाएगी ;
- (iii) केन्द्र में नियोजित नर्सिंग तथा अन्य अमला अपने अपेक्षित कर्तव्यों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित उनको सौंपे गए कार्य को करने के लिए सक्षम होगा। कोर स्टाफ को (डाक्टर तथा नर्स) मान्यताप्राप्त संस्था से नशामुक्ति उपचार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ;
- (iv) केन्द्र का कार्यभारी अधिकारी सम्यक रूप से अर्हित मनोचिकित्सक या नशामुक्ति उपचार में कम से कम तीन मास के प्रशिक्षण सहित डाक्टर होगा ;
- (v) जब डाक्टर केन्द्र का संचालन करता है, तो उसे केन्द्र में कम से कम सप्ताह में एक बार आने वाले मनोचिकित्सक को अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा ;
- (vi) प्रत्येक केन्द्र अंतरंग रोगियों को सहायता तथा आपातकालीन सेवाएं, यदि आवश्यक हो, को देने के लिए, सरकारी/निजी केन्द्र के प्रभार में प्रबन्धन से वचनबद्धता/व्यवस्था को प्रस्तुत करेगा तथा प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा ;
- (vii) रोगियों के लिए पर्याप्त वाहन/एम्बुलेंस केन्द्र द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ;
- (viii) नशे के आदियों को केन्द्र द्वारा चौबीस घण्टे चिकित्सा निर्सिंग देखभाल सुनिश्चित की जाएगी ;
- (ix) अपेक्षित तथा शारीरिक संबंधी तथा मनोविकृति संबंधी सह-रूगणता विकृति औषधियों का पर्याप्त भण्डार तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा।



(ग) आवश्यक अमला :—

(क) नशामुक्ति केन्द्र के लिए :—

- (i) अंशकालिक (प्रतिदिन चार घण्टे) एक डाक्टर एम०डी० मनोरोग विज्ञान (अधिमानतः) या मान्यताप्राप्त संस्था से नशामुक्ति उपचार में कम से कम तीन मास के प्रशिक्षण सहित (डाक्टर : रोगी अनुपात 1 : 20) ;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था (काउंसलर : रोगी अनुपात 1 : 10) से दो सामाजिक कार्यकर्ता/काउंसलर-मनोविज्ञान/समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में एम०फिल०/एम०ए० (नशामुक्ति उपचार में प्रशिक्षण सहित अधिमानतः) ;
- (iii) मान्यताप्राप्त संस्था (नर्स : रोगी अनुपात 1 : 20) से नशा उपचार में प्रशिक्षण सहित नर्सिंग में बी०एस०सी० (या डिप्लोमा वाली चार स्टाफ नर्स चौबीस घण्टे सेवाओं के लिए ;
- (iv) तीन वार्ड अटैन्डेंट 10+2 योग्यता, स्थानीय केन्द्र में उपलब्ध नशे के आदियों को सम्भालने के लिए तीन मास के अनुकूलन प्रशिक्षण सहित ;
- (v) तीन सुरक्षा कार्मिक - प्रत्येक एक, चौबीस घण्टे के लिए ;
- (vi) दो सफाई कर्मचारी ;
- (vii) एक कुक एवं सहायताकर्ता या बाहर से ताजा पोषण आहार के लिए नियमित प्रबन्ध ;
- (viii) अभिजात (पीयर) शिक्षक (वैकल्पिक)

(ख) काउंसलिंग केन्द्र के लिए :—

- (i) परियोजना निदेशक/प्रोग्राम अधिकारी— एक
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से नशामुक्ति उपचार में प्रशिक्षण सहित अधिमानतः मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में एम०ए० की मूल अर्हता सहित तीन सामाजिक कार्यकर्ता/काउंसलर ;
- (iii) तीन वार्ड परिचर—मूल योग्यता 10+2, स्थानीय केन्द्र पर तीन मास के भीतर पदार्थ आश्रितों को सम्भालने के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ;

(iv) दो सुरक्षा रक्षक/चौकीदार ;

(v) दो सफाई कर्मचारी ;

(vi) दो अभिजात शिक्षक (वैकल्पिक) ;

(vii) एक कुक एवं हैल्पर (वैकल्पिक) या बाहर से ताजा पोषण आहार के लिए नियमित प्रबन्ध।

(घ) सहायक सेवाएं :—

प्रत्येक केन्द्र निम्नलिखित सहायक सेवाएं उपलब्ध करवायेगा :—

(i) आपातकालीन चिकित्सीय देख-रेख ;

(ii) आमोद-प्रमोद/पुनर्वास सुविधाएं तथा बाहरी क्रियाकलाप ;

(iii) नियमित दैनिक बाहरी रोगी सेवाएं ;

(iv) विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाएं, प्रयोगशाला सेवाएं, एच०आई०वी०/ ए०आई०डी०एस० केन्द्रों, आर०एन०टी०सी०पी० केन्द्रों के लिए निर्देशित संयोजन ;

(v) संयोजन क्रियाकलापों तथा आपातकालीन चिकित्सीय देख-रेख के प्रयोजन के लिए रोगियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं।

(ङ) अभिलेख अनुरक्षण तथा प्रसारण :—

(i) सभी केन्द्रों के लिए सभी रोगियों का व्यक्तिगत तथा उपचार अभिलेख बनाये रखना अनिवार्य होगा ;

(ii) ये अभिलेख गोपनीय होंगे तथा केन्द्र के कार्यभारी अधिकारी के अनुरोध करने पर केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ;

(iii) केन्द्र के क्रियाकलापों के सम्पूर्ण आंकड़े स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संघीय मंत्रालय द्वारा विकसित औषधि दुरुपयोग अनुश्रवण प्रणाली (डी०ए०एम०एस०) प्रोफार्मा में सूचना तथा राज्य तथा राष्ट्रीय आंकड़े संग्रहण के प्रयोजन के लिए त्रैमासिक आधार पर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा तथा निदेशक, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाएंगे।

10. (1) केन्द्र में दाखिला जोखिम लाभांश तथा लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले केन्द्र में दाखिला।  
वैकल्पिक उपचार पर विचार करने के बाद केवल रोगी की दी गई सहमति से किया जाएगा।  
सहमति प्ररूप की प्रति आश्रित को उपलब्ध करवाई जाएगी। आश्रित को किसी भी समय उपचार न  
करवाने तथा जारी न रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य स्तरीय समिति या अनुज्ञापन प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, मार्गदर्शिका  
बना सकते हैं या ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

(3) प्रत्येक केन्द्र इस आशय का वचन देगा कि यह सामान्य मानव अधिकारों के  
अनुसार दाखिल रोगियों के मानव अधिकारों को संरक्षित करेगा तथा कि यह रोगियों को  
निम्नलिखित गतिविधियों अर्थात् एकांत परिरोध, बलात्क्रम, दण्ड, पिटाई, मनोवैज्ञानिक यातना,  
जंजीर से बांधना या हिरासत में रखना, में नहीं लगाएगा। रोगियों के अधिकार हर समय संरक्षित  
किए जाएंगे। यह परिवार के साथ निजी पारस्परिक मेलजोल अनुज्ञात करेगा तथा केन्द्र के प्राधिकृत  
व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन रोगी को संसूचित करेगा। यह अनुरक्षण देने वाले तथा न्यायिक आदेशों के  
अधीन के सिवाय रोगी को चिकित्सा तथा काउंसलिंग अभिलेखों की विश्वस्तता को सुनिश्चित  
करेगा।

महोदय

विषय —

में आपसे सेवा एजीकरण सख्या ..... दिनांक ..... अगले  
प्राप्त एवं के लिए नवीनकरण करने का अनुरोध करता हूँ, मैं अभिलेख तथा उसके अधीन बनाये गये  
भिवनों द्वारा यथासिद्ध सुविचार उपलब्ध करता रहा हूँ। मैंने केवल 250/- रुपये का मांग ड्राफ्ट  
इसके साथ संलग्न कर दिया है।

सन्तुष्ट रहित।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

## प्ररूप I

[देखिए नियम 6(3)(i)(viii)(ix)(x)]

## पंजीकरण प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति

हम.....अनुज्ञापन प्राधिकारी होते हुए, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन नशामुक्ति केन्द्र की अपेक्षाओं से सन्तुष्ट होने के बाद, इसके द्वारा नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना/अनुरक्षण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रदान करते हैं।

2. पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जो.....के प्रारम्भ से तथा.....की समाप्ति तक होगा। पंजीकरण स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 71 तथा उसके अधीन नशामुक्ति केन्द्र के लिए बनाए गए नियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन होगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी

स्थान : .....

दिनांक : .....

प्ररूप II

[देखिए नियम 6(3)(vi)]

पंजीकरण के नवीनकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

The 1st September, 2010

No. 2010-2393-2010

In exercise of the powers conferred by section 78 and sub-section (1) read with sub-section (1) of section 71 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (Central Act 61 of 1985), the

following rules for establishment, management, superintendence of centres for

employment of persons employed in such centres

सेवा में

निदेशक,

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग,

हरियाणा, चण्डीगढ़।

महोदय,

विषय :— पंजीकरण नवीनकरण संख्या.....दिनांक.....

मैं आपसे मेरा पंजीकरण संख्या.....दिनांक.....अगले पांच वर्ष के लिए नवीनकरण करने का अनुरोध करता हूँ, मैं अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैंने केवल 250/- रुपये का मांग ड्राफ्ट इसके साथ संलग्न कर दिया है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

स्थान : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

दिनांक : .....

## प्ररूप III

## अपील के लिए आवेदन

( देखिए नियम 7 )

सेवा में

अपील प्राधिकारी,

सरकार

महोदय,

मैंने.....का.....नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन किया था (पहले किये गये आवेदन की प्रति संलग्न करें)। मेरा आवेदन पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया था :—

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

(प्रति संलग्न)

उपरोक्त कारण वैद्य प्रतीत नहीं होता है/ होते हैं। मैं आपसे मेरे आवेदन पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मेरे औचित्य निम्नलिखित हैं :—

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

मैं व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, आपके समक्ष उपस्थित होने का इच्छुक हूँ, मैं इसके साथ 300/-रुपये का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ।

धन्यवाद सहित।

हस्ताक्षर

भवदीय

स्थान : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

दिनांक : .....

धनपत सिंह

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**

**SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT**

**Notification**

The 1st September, 2010

**No. S.O. 92/C.A. 61/1985/S. 71 and 78/2010.**—In exercise of the powers conferred by section 78 and sub-section (1) read with sub-section (2) of section 71 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (Central Act 61 of 1985), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for establishment, appointment, maintenance, management, superintendence of centres, for appointment, training, powers and duties of personnel employed in such centres and for identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation, social re-integration of addicts and for supply for narcotic drugs and psychotropic substances to the addicts, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana De-addiction centres Rules, 2010

Short title and commencement.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires;

Definitions.

(a) "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of 1985);

(b) "Centre" means drug de-addiction and rehabilitation centre established under sub-section (1) of section 71 of the Act;

(c) "District Level Committee" means the Committee constituted under sub rule (1) of rule 8;

(d) "Form" means form appended to these rules;

(e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(f) "Licencing authority" means the licensing-cum-registering authority constituted under sub rule (1) of rule 7;

(g) "Organisation" includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), registered charitable society, Trust, a company incorporated under the Companies Act, 1958, (1 of 1958), institution fully funded, managed or approved by the State Government or by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India;

(h) "State Level Committee" means the State Level Committee constituted under sub-rule (1) of rule 3;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act 61 of 1985).

Constitution of  
State level  
Committee.

3. (1) There shall be State Level Committee, comprising of the following officials and non-official members; namely :—

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (i) Administrative Secretary, Health and Medical Education  | Official Member   |
| (ii) Administrative Secretary, Social Justice and Empowerment.  | Official Member   |
| (iii) Administrative Secretary, Technical Education   | Official Member   |
| (iv) Administrative Secretary, Higher Education   | Official Member   |
| (v) Administrative Secretary, School Education  | Official Member   |
| (vi) Director, Social Justice and Empowerment Department  | Official Member   |
| (vii) Director General Health Services  | Member Secretary. |
| (viii) Secretary, Haryana State Child Welfare Council   |                   |
| (ix) Secretary, Haryana Red Cross Society   |                   |
| (x) Head, Psychiatry Department, Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak.   |                   |
| (xi) Head, Psychiatry, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.   |                   |
| (xii) Head Psychiatry, GMCH, 32, Chandigarh.  |                   |
| (xiii) Director, State Institute of Mental Health, Rohtak.  |                   |
| (xiv) Two lawyers of repute.  |                   |
| (xv) Two representatives of existing NGOs working in this field of the State.   |                   |
| (xvi) The Committee may opt any additional Member for a meeting who has special qualifications and experience in the field of De-addiction for giving expert advice to the Committee. |                   |
- (2) The Senior most Secretary shall be the Chairman.
- (3) The role and responsibilities of the State Level Committee shall be—



- (i) to act as supervisory, policy making and facilitatory body with regard to treatment of addicts and their rehabilitation;
- (ii) to frame guidelines for the licensing authority to grant licences for operation of centres;
- (iii) to ensure effective implementation of minimum standards of care in Centres as laid down by the Government of India or any Statutory Body or this Committee;
- (iv) to help and guide for establish a collaborative treatment network among the centres and Governmental and Non-Governmental Health Care facilities;
- (v) to conduct facilitating training programme for personnel deployed in centres;
- (vi) to undertake any other activity for the promotion of welfare and rehabilitation of addicts;
- (vii) to decide the appeals against the decisions of the licensing authority.

4. A person shall be disqualified for being appointed as a member or in case is already appointed then shall be removed by the Government if he, Disqualification.

- (i) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
- (ii) is an undischarged insolvent, or
- (iii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or,
- (iv) has been removed or dismissed from the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. (1) Every non-official member shall hold office for a period of three years from the date of his appointment and shall be eligible for re-appointment. Term of office of non-official members.

(2) A non-official member may at any time resign from membership of the Authority State Level Committee by forwarding letter of resignation to the Chairman and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted.

(3) Where a vacancy occurs by resignation or otherwise of a non-official member, the Government shall fill the vacancy by appointing from amongst the same persons and the persons so appointed, shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he has been so appointed.

(4) Where the term of office of any non-official member is about to expire, the Government may appoint a successor three months before the expiry of the term of such member but the successor shall assume office only after expiry of the term of the member.

Licensing  
authority.  
Committee

6. (1) There shall be a State Level Licensing Authority consisting of the following members; namely :—

- (i) Director General Health Services, Haryana;
- (ii) Director, Social Justice & Empowerment Department, Haryana.

(2) The functions of the Licensing Authority shall be as under :—

- (i) to issue provisional licence, regular licence and to renew licence for operation of centres set up by any organization and to register centres already operating;
- (ii) to investigate complaints against centres as also against suspected/alleged unlicensed centres;
- (iii) to monitor, supervise and evaluate functioning of various centres in the State of Haryana;
- (iv) to ensure minimum standards of care in the centre based on the Government of India guidelines or any statutory body, or the guidelines issued by the State Level Committee from time to time;
- (v) to implement and monitor the guidelines prepared by State Level Committee for setting up and functioning of the centres;
- (vi) to carry out periodic inspections of the centres and in case of any violations initiating punitive proceedings including suspension or cancellation of the licence;
- (vii) to devise its own procedure for discharging its duties and for carrying out the objectives and implementing the rules and for provisions contained in the Act;
- (viii) To maintain record in the form specified by the State Level Committee from time to time.

(3) The Licensing Authority shall follow the following procedure, namely :—

- (i) on receipt of an application, in form I - the Licensing Authority may cause such enquiries to be made about the applicant as it deems fit to ensure that the applicant is capable of adhering to the minimum standards prescribed under these rules for running a centre;

- (ii) after getting suitable enquiry conducted and after satisfying itself about the capabilities of an applicant for setting up a centre in accordance with the minimum standards prescribed in these rules, the licensing authority shall issue a provisional licence to the;
- (iii) after issuance of provisional licence, the applicant shall comply with the prescribed minimum standards and such other conditions as are prescribed by the licensing authority, and request the Licensing Authority to grant regular licence within a period of six months. If he fails to apply for the regular licence within the specified period, he shall stop the operation of the centre. A centre be operated in the State of Haryana only after issuance of a licence;
- (iv) for conversion of a provisional licence into a regular licence, the Licensing authority shall satisfy itself about due compliance of all the conditions of the provisional licence by the applicant, for which purpose, it may cause the centres to be inspected by the District Level Committee;
- (v) a licence shall be valid for a period of five years from the date of issue unless suspended, revoked or cancelled by the licensing authority for non compliance of any of the conditions of license and non adherence to the Minimum Standards prescribed under these rules;
- (vi) the fee for application for setting up a centre shall be Rs. 10,000/- (ten thousand rupees only) for new licence and Rs. 5000/- ( five thousand rupees only) for renewal of licence. The application for renewal of licence shall be made in Form II.
- (vii) the centres established by the Government of Haryana shall be exempted from the payment of license fee;
- (viii) Psychiatric Nursing Homes/Hospitals which are holding license under the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) and the Central Mental Health Authority Rules 1990) and are providing treatment and care to addicts shall be exempted from applying for the license. They shall be governed under the provisions of Mental Health Act, 1987 (14 of 1987), however, they shall be registered apply for registration in Form I to the Licensing Authority and submit data on de-addiction cases in the prescribed performa *i.e.* Drug Abuse Monitoring System (DAMS) to the Licensing Authority, as directed for the purpose of consolidation of data on de-addiction in the State;

(ix) all the existing centres shall have to apply for the license within six months from the date of publication of these rules, in Form I.

(x) on the receipt of application for regular license in Form I the Licensing Authority shall issue the same within thirty days of the receipt of reports regarding compliance of the conditions of provisional license to the applicant;

Appeal.

7. An applicant may prefer an appeal before the State Level Committee against the order of the Licensing Authority in case grant of licence is denied to him in Form III.

District level committee.

8. (1) There shall be a District Level Committee, comprising of the following members; namely :—

(i) Deputy Commissioner or his nominee Chairman.  
not below the rank of Additional  
Deputy Commissioner.

(ii) Civil Surgeon of the district Member Secretary

(iii) District Social Welfare Officer (DSWO) Member

(2) The functions of the District Level Committee shall be;

(i) to periodically monitor, supervise and evaluate the functioning of the Centres in the district in accordance with the conditions of the licence and guidelines framed by State Level Committee or Licencing Authority from time to time.

(ii) to ensure that every centre has valid licence;

(iii) To maintain the record in the form prescribed by the State Level Committee from time to time.

Minimum Standards.

9. (1) The Centre shall conform to the following Minimum Standards; namely :—

**A. PHYSICAL STANDARDS :—**

(i) The centre after obtaining license shall start operations within thirty days of the receipt of the license and inform the licensing authority about the commencement of its operation.

(ii) The licensing authority shall cause an inspection of such new centre to be conducted by the District Level Committee;

(iii) The, Centres shall have requisite number of beds ( one for each patient). Adequate accommodation and proper spacing between the beds shall be provided.

- (iv) The centre shall have sufficient ventilation and be free from any pollution which may be detrimental to the health of admitted patients.
- (v) The centre shall have potable/drinking water and running water for washing, bathing and cleaning purposes.
- (vi) The centre shall have proper sanitation facilities in terms of clean and adequate number of bathrooms, toilets and sinks.
- (vii) The centre shall provide clean bed linen, utensils and articles for personal hygiene of the patients.
- (viii) The centre shall provide fresh, nutritious and adequate meals to the admitted patients.
- (ix) The centre shall have adequate recreational facilities for the patients.
- (x) The following additional facilities shall be available in every centre; namely :—
  - (a) reception enquiry / registration counter/waiting space with seating arrangements for a minimum of five persons.
  - (b) cubicle/room for providing individual counseling, group therapy and family counselling.
  - (c) space to store records of patients to ensure confidentiality and a system of easy retrieval.
  - (d) related educational material such as posters to be prominently displayed at strategic points in the centres.
  - (e) pamphlets, hand bills and other educational materials in vernacular shall be made freely available for the public.

**B. MEDICAL STANDARDS :—**

- (i) No patient shall be coerced to undergo detoxification treatment without explaining the range of treatment options available to him including substitution/maintenance therapy and psychosocial interventions and his consent for undergoing treatment for de-addiction.
- (ii) Treatment protocol of centres shall follow established and evidence based medical practice and guidelines published by the World Health Organization (WHO), Government of India, and Indian Psychiatric Society (IPS), including the harm minimization practices advocated from time to time.

- (iii) Nursing and other staff employed in the centre shall be duly qualified as per their job requirement, be competent to handle the work assigned to them. The core staff (Doctors and nurses) shall have received training in de-addiction treatment from a recognized institution.
- (iv) Officer in-charge of a centre shall be duly qualified psychiatrist or doctor with at least three months training in de-addiction treatment.
- (v) When doctor manages a centre, it shall have a psychiatrist on its roll visiting the centre at least once a week.
- (vi) Each centre shall furnish and prominently display an undertaking/arrangement from the management in charge of a Government/Private Centre. for providing support and emergency services to the in- patients, if needed.
- (vii) Adequate transport/Ambulance for patients shall be ensured by the centre.
- (viii) Round the clock medical nursing care to the addict shall be ensured by the centre.
- (ix) There shall be adequate and readily available stock of medicines required and related physical and psychiatric co- morbidities.

**C. STAFF REQUIREMENT :—**

**(a) For De-addiction Centre.**

- (i) One part-time (4 hours a day) doctor-MD Psychiatry (preferably), or a doctor with at least three months training in de-addiction treatment from a recognized institution (Doctor: Patient Ratio 1:20).
- (ii) Two Social Workers/Counselors-MPhil/MA in Psychology, Sociology or Social Work (preferably with training in de-addiction treatment) from a recognized institution (Counselors; Patient Ratio 1:10).
- (iii) Four staff nurses- for round the clock services, BSc or Diploma in Nursing with training in drug treatment from a recognized institution (Nurse:Patient Ratio 1:20).
- (iv) Three Ward Attendants- 10+2 education, Orientation training to handle drug addicts provided at the Centre locally within three months.

- (v) Three security personnel- one each, round the clock.
- (vi) Two Safai Karamcharis.
- (vii) One Cook cum Helper or regular arrangement for fresh nutritious food from outside.
- (viii) Peer Educators (Optional).

**(b) For counselling Centre**

- (i) Project Director/Programme Officer-one.
- (ii) Three Social Workers/Counselors with Basic qualification of MA in Psychology, Sociology or Social Work preferably with training in de-addiction treatment from a recognized institution.
- (iii) Three Ward Attendants-Basic qualification 10+2, Orientation training to handle substance dependents to be provided at the Centre locally within three months.
- (iv) Two security guards/Chowkidars.
- (v) Two safai karamcharis.
- (vi) Peer Educators (Optional).
- (vii) One Cook cum Helper (Optional) or regular arrangements for fresh nutritious food from outside.

**D. SUPPORT SERVICES :—**

Each centre shall provide the following support services,—

- (i) Emergency medical care.
- (ii) Recreational/rehabilitation facilities and outdoor activities.
- (iii) Regular daily outpatient services.
- (iv) Referral linkage for specialist medical services, laboratory services. HIV/AIDS centers, RNTCP centres.
- (v) Adequate transport facilities for patients for the purpose of linkage activities and emergency medical care.

**E. RECORD MAINTENANCE AND DISSEMINATION :—**

- (i) It shall be mandatory for all the Centres to maintain personal and treatment record of all the patients.
- (ii) These records shall be confidential and available only to the authorized persons on request with the discretion of Officer in charge of the centre.
- (iii) All the data on activities of the centre shall be sent on Drug Abuse Monitoring System (DAMS) Performa developed by the Union Ministry of Health and Family Welfare, to the Director General Health Services, Haryana and to the Director, Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India on the quarterly basis for the purpose of information and compilation of State and National data.

Admission to  
centre.

**10.** (1) Admission to the Centre shall be made only with informed consent of the patient, after discussing risks, benefits and alternatives to treatment to be recorded in writing. Copy of the consent form shall be provided to the client. *The client shall have the right to refuse and discontinue treatment at any time.*

(2) The State Level Committee or the Licencing Authority, as the case may be, may frame guidelines or impose such conditions as it deems proper.

(3) Each Centre shall give an undertaking to the effect that it shall protect the human rights of the admitted patients as per the Universal Human Rights and that it will not engage in the following activities with the patients i.e. solitary confinement, forced labour, punishment, beating, psychological torture, chaining or locking up. The patients liberty shall be protected at all times. It shall allow private interaction with family and provide communication to the patient under supervision of the authorized person of Centre. It will ensure confidentiality of medical and counseling records of the patient except caregivers and under judicial orders.



**FORM I**

[(See rule 6(3)(i)(viii)(ix)(x)]

**REGISTRATION CERTIFICATE/LICENCE**

We,.....,being the Licencing Authority Narcotic  
Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (61 of 1985) after satisfying the  
requirement of the Drug-de-addiction centre, hereby grant the Registration  
certificate/licence for establishment/maintenance of Drug-de-addiction centre.

2. The Registration shall be valid for a period of 3 years, commencing  
from.....and ending with.....  
The Registration shall be subject to the conditions laid down in the section 71 of  
the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act and the rules made under there  
for de-addiction centres.

Licensing Authority

Place.....

Date.....

Yours faithfully

Signature

Date

Thanking You

Yours faithfully

Signature

Date

DHANPAT SINGH

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana,  
Social Justice and Empowerment Department.

FORM II

[(See rule 6(3)(vi)]

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION

From

To

Director  
Social Justice & Empowerment Department  
Haryana, Chandigarh

Sir,

Subject : Renewal Registration No. .... dated.....

I request you to kindly renewal my Registration No.....  
dated the..... for the next five years, I am providing the facilities as  
prescribed by the Act and the Rules framed there under. I have herewith attached a  
demand draft for Rs. 250 only.

Thanking you.

Yours faithfully

Place.....

Signature.....

Date.....

Date.....

FORM III  
APPLICATION FOR APPEAL

(see rule 7)

To

The Appellate Authority  
Government of .....

Sir,

I ..... of ..... had applied for a Registration for  
establishing Drug-de-addiction centre. (Copy of the earlier application to be  
attached). My application was rejected by the Registration Authority as per his/  
her letter No. .... dated ..... with the following reasons.

1. ....
2. ....
3. ....

(Copy enclosed)

The above reason(s) appear(s) to be not valid. I requested you to  
reconsider my application. My justification are :

1. ....
2. ....
3. ....

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary,  
I am herewith enclosing a draft for Rs. 300.

Thanking You.

Yours faithfully

Place.....

Signature.....

Date.....

Date.....

DHANPAT SINGH  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana,  
Social Justice and Empowerment Department.